


आदेश

कार्यवाही विवरण  
राजस्थान सरकार बनाम नेतराम आदि  
प्रकरण संख्या 11/2012

अनुपालना के  
क्रमांक व  
दिनांक

06.06.22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रतिवादी उपस्थित। आवेदक एवं आवेदक की ओर से राज पैरोकार को बार-बार रूक-रूक कर न्यायालय समय तक आवाज लगवाई गई, परन्तु इनकी ओर से कोई भी उपस्थित न्यायालय हाजा नहीं हुये। प्रकरण को दर्ज हुये करीबन 10 वर्ष समय हो चुका है। वर्तमान में प्रकरण तलबी के प्रक्रम पर विचाराधीन है। प्रकरण को काफी समय से "PRESS" भी नहीं किया जा रहा है। अतः प्रकरण अदम पैरवी एवं अदम हाजरी में तथा तामिल के के अभाव में प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 06.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
ए. सी. ई. एम. (फा. दे.)  
नवलगढ

